

फर्द अहकाम

न्यायालय

(सहायक कलेक्टर काफिले इ. जमशेदपुर)

क्र. सं.

बनाम

घादी राई

मुकदमा संख्या / वर्ष

25/22 TL

/20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/7 2022		पत्रावली प्रस्तुत। वकील शर्मा उप. अप्रार्थीगण अनुपस्थित। (पक्षी द्वारा पूर्व में प्र.पत्र "विकृत केन्द्र" बावत पेश किया हुआ है। पत्रावली का निवेदन प्र.पत्र दिनांक 3/8/22 को पेश है।	
3/8 2023		पत्रावली पेश हुई। पीठसभ्य अधिकारी महोदय "अप्रार्थीगण काफिले के बावत है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/9/23 को पेश है।	सहायक कलेक्टर आमेर इ. जमशेदपुर
8/9 2023		पत्रावली प्रस्तुत। वकील शर्मा उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगातार 22 बावत तामिल आज्ञा भी अनुपस्थित है पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। शर्मा की स्थिति की प्रार्थना पर व अस्थायी निवेशारा प्रार्थना पत्र पर अन्तिम बरस सुनी गई। शर्मा की स्थिति ने इनके खर्च कीमतवचन किया की मूलावधि खर्च से संबंधित है अतः	माला सिंग इंजीनियर शर्मा की स्थिति

25/22Ti/

A.C.M. आर.म.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	<p>अज्ञा विस्तृत रूप से निरस्त बलात् धारणा/राज्य</p>	विशेष विवरण
		<p>जब तक पक्षकारों के मध्य बँटवारा नहीं हो तब तक अज्ञा/राज्य के अर्थों से पाबन्द किया जाये। तथा जमीन को विक्रय के अर्थों की अनुमति दी जाये।</p> <p>पञ्चवली व दोसरे बरतन किये गये कवनों पर मजदूरी किया गया।</p> <p>मूल विवाद पक्षकारों का बँटवारे से संबंधित है तथा पक्षक दृष्ट्या मालगुजारी के पक्ष में मालूम होता है अतः उक्त पक्ष के मूल विवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है की वे ग्राहकस्त वर्गित भूमि ख.नं 234 रकबा 0.4500 है, 227 रकबा 1.4300 है, 232 रकबा 1.5500, 221 रकबा 0.2300 है, 222 रकबा 1.6900 है, 226 रकबा 0.0900 है, 245 रकबा 0.0100 हैक्टोर, 246 रकबा 3.00 हैक्टोर वीके ग्राम चैदपुरा जायन तहसील मोहेल में विवादित ज़ारजी का केचान नहीं करे तथा रिकॉर्ड की प्रवृत्ति स्थिति खनोपे रखे।</p> <p>पञ्चवली के मूल मुद्दा टिकट वहील पक्ष है।</p>	

सहायक जज कलकत्ता
 आर.म. जयपुर